

ज्ञापक संख्या 14 दिनांक 31/03/2014.

आज 11-अरिहा प्रतीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से प्रतीक
आवंटन के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ।

स्थान कटिहार

दिनांक 31/03/2014

अशोक मणि

अभ्यर्थी या प्रस्थापक के हस्ताक्षर

Check List of Documents in Connection with filing of nomination

Name of Constituency 11- Katiha Lok Sabha
 Name of the candidate Ashok K. Bhagat
 Date and time of filing nomination paper 31.3.14
 Sl. No. Of nomination Paper 01

Sl. No.	Documents	Whether filed (write yes/no (if there is any defect/short coming in the documents, the same should be specified)
1	Affidavit in form 26 (a) Whether all columns are filled up (b) If not, which are blank column (s) [Please specify]. (c) Whether the affidavit is sworn before an oath commissioner or Magistrate of First Class or before a notary Public.	Yes. Yes.
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	N/A
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.)	N/A
4	Copy of caste certificate from competent authority (if the candidate claims to belong to SC/ST)	N/A
5	Security deposit (whether made)	Yes.
6	Oath/affirmation (Whether taken)	Yes.

The Following documents which have not been filed should be filed as indicated below :

- (a) Should be filed latest by
- (b) Above mentioned columns in the affidavit in form 26 have been left blank. You must submit a fresh affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.
- (c) should be filed latest by

Received.

अशोक भगत
 (Signature of Candidate)

(Signature)

Date & Time : 31.3.14

Place Katiha

N.B.

- The Affidavit in Form 26 and Form A&B have to be filed latest by 3.00 P.M. on the last date of filing nominations.
- The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
- Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
- certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
- Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.
- If the columns in the affidavit are blank and incomplete the candidate should file an affidavit complete in all respects instead of filing an affidavit in respect of only the blank columns and the second affidavit which be the complete one will be disseminated through the web site.

4 मई 2014
निर्वाची पदाधिकारी,
 Signature of RO/ARO
 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

11-11-Katihar
Lok Sabha Election
2014

अनु. 3 2014
अ. 11-22-14

अनुरोध पत्र

लोकसभा चुनाव, 2014 नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सम्पर्क विवरणी

1. लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या :- 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ।
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम :- अशोक कुमार भगत
3. लिंग :- पुरुष
4. उम्र :- 42 वर्ष
5. दल संबद्धता :- निर्दलीय
(राजनीतिक दल से भिन्न अभ्यर्थी
के लिये निर्दलीय अंकित करें)
6. शहर/जन्म स्थल :- ग्राम-अमरपुर, थाना- सोनखर्चा, जिला- दरभंगा (बिहार)
कृपया सम्पर्क विवरणी नीचे दर्ज करें
7. पूर्ण पता :- मुहल्ला- हातागतनगर (एडमिनिस्ट्रेशन), पोस्ट एवं जिला - कटिहार ।
8. लैण्डलाइन फोन नं० :- शून्य
9. मोबाईल नं० :- 9835800138
10. ई-मेल का पता :- शून्य
(यदि हो)
11. वेबसाइट का पता :- शून्य
(यदि हो)

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिये निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए लागू नहीं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के

रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

..... उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर

प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक

नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 11-करिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम अशोक कुमार अगत

पिता/पुत्र/पत्नी का नाम माईजी प्रसाद अगत

उसका डाक पता गुरुदास-समभतनगर (लड़कियाँ/मौला), पौण्डरी जिला-करिहार

उसका नाम 11-करिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (नै समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 119 में क्रम संख्यांक 1071 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	63-करिहार	118	793	राज कुमार यादव	राज कुमार यादव	31.3.14
2	63-करिहार	118	950	शैलेश शर्मा		31.3.14
3	63-करिहार	118	346	रमेश शर्मा सिंह	रमेश शर्मा सिंह	31.3.14
4	63-करिहार	118	360	जय प्रकाश सिंह	जय प्रकाश सिंह	31.3.14
5	63-करिहार	118	368	सुरज प्रसाद सिंह	सुरज प्रसाद सिंह	31.3.14
6	63-करिहार	118	384	आकाश प्रसाद सिंह	आकाश प्रसाद सिंह	31.3.14
7	63-करिहार	118	375	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह	31.3.14
8	63-करिहार	120	734	प्रदीप कुमार शर्मा	प्रदीप कुमार शर्मा	31.3.14
9	63-करिहार	120	661	अनील पांडेय	अनील पांडेय	31.3.14
10	63-करिहार	120	660	शोका कुमारी	शोका कुमारी	31.3.14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग - 3 "क"
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

(I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(II) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है.

जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित

किया गया है

यदि उत्तर हाँ में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(I) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक 2024

(II) पुलिस थाना (थाने) 2024

जिला (जिले) 2024

राज्य

(III) संबन्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,

जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था 2024

(IV) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) 2024

(V) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था 2024

(VI) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

2024

(VII) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) 2024

(VIII) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :

हाँ / नहीं

2024

(IX) फाइल की गई अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएं एवं तिथि :- शून्य

(X) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- शून्य

(XI) क्या उक्त अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है शून्य

(XII) यदि उक्त अपील (अपील) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति शून्य

स्थान :- कलकत्ता

तारीख :- 31-3-14

अशोक मिश्रा

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग - 4
(रिटर्निंग आफिसर द्वारा करा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० 01/11-कटिहार लोक सभा
यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 31/03/2014 (तारीख) को 11.22 AM (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

स्थान :- कटिहार
तारीख :- 31/03/2014

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

4 4/1/2014
31.3.2014
निर्वाची पदाधिकारी,
(रिटर्निंग आफिसर)
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

भाग - 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय
मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ । :-

स्थान :-

तारीख :-

(रिटर्निंग आफिसर)

छिद्रण

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROMOTION DEPT.
KATIHAR SO. OFF. KATIHAR

COURT FEE

Authorization No. 2503

भारत



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. 0000020

375260

बिहार
JUDICIAL

29.5.2014

BIHAR

5757 2626042



10
29/03/14

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 11- कटिहार लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के सम्मुख अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं अशोक कुमार भगत **पुत्र/पुत्री/पत्नी आईजी प्रसाद भगत
आयु 42 वर्ष, जो हालामतनगर लड़कियाँ रोड, पो. ए.
जिला - कटिहार - 854105

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं खाली (**यजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 63-कटिहार, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 119 के क्रम सं 1071 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 98358 00138 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है।

(4) स्याई लेखा संख्याक (पैन) के बारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

Uday Pratap Yadav

C. Katihar

अशोक कुमार

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुप में)
1.	स्वयं अशोक कुमार	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी वीणा देवी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1 विष्णु कुमार	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2 शिव प्रभात	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	करिंदर सहायक न्यायाधीश - 135/14 जिला करिंदर (बिहार)
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	धारा 3 बिहार प्रोपर्टी 570 एक्ट
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायाधीश करिंदर & आदेश है अज्ञान पर
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	न्यायिक अधिकारी नहीं कि। जमा है।
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

अशोक कुमार

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के बारे में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के बारे में	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के बारे में अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरुपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के बारे में और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

अशोक कुमार

(7) मैं मेरे मेरे प्रति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तरा दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी जी.डी. जे.	आश्रित - 1 स्थिरजमा	आश्रित - 2 शिफ्ट जमा	आश्रित - 3
(1)	हाथ में नकदी	17000/00	8500/-00	शून्य	शून्य	शून्य
(2)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	कुल प्रत्येक बैंक, सहकारी सोसाइटी का 845/00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(3)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31211क मजरा

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	2 ग्राम प्लैटिनम 70000/रु०	3 ग्राम प्लैटिनम 100000/रु०	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	87845/रु०	1,08,500/रु०	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तरा वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याएं (संख्याएं)					
	शेन (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अशोक मंगल

	विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य श्रीमती निरुपमा कोटा - 263 क्रमांक - 1545	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	1500/964	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	1-2-2000	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	520000/6	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	10,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

312013 सगरी

	ऋण की तारीख	शून्य	शून्य			
	ऋण के समय भूमि की लागत (ऋण की दस्ता में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्धान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल बालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का प्रत्येक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, दकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नाम, दकाया, रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आपास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अशोक मजान

	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) धृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषिक्षेत्र

(ख) पति या पत्नी गृहपत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

साक्षर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

अशोक कुमार

Umesh Lal Yadav
Notary
Civil Court, Katihar

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं अशोक कुं मंगल				
2	डाक का पता	हजारा नगर (मड़कनिवासेवा) पो १० जिला करिहर				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	11-करिहर लोकसभा (बिहार)				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से गिन)	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उठराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7		_____ का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तिया (कुल मूल्य)	3,845/-	1,08,500/-	8,500/-	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	10,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

अशोक मंगल

	I.	स्ववर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>बामन</u>					
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

अशोक मजरा

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से निम्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से निम्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 29/3/14 को सत्यापित किया गया।

Deponent..... Ashok Bhagat
Who is identified by..... Sm. R. S. Ch.
Advocate & solemnly Affirmed
and declared before me.

अशोक भगत
अभिसाक्षी 29/3/14

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 300 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं 9835800138

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है _____

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है _____

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क))

(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं अशोक कुमार मंगर जो संसदीय निर्वाचन में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप निर्देशित हुआ हूँ * ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

अशोक मंगर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और

स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

* जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती अशोक कुमार मंगर ने आज
दिनांक 31/03/2014 माह मार्च 2014 को लक्ष्मीनारायण सिंह स्मृति विधान सभा (स्थान)
पर 11.45 AM बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

49/03/2014
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर।